न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 30/2014 प्रार्थना पत्र

रामचन्द्र पिता केसुराम नायक, आयु वयस्क, निवासी नयाखेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा।

– प्रार्थी

//बनाम//

राज. सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तोडगढ़।

– विपक्षी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा. भू राज.अधि.</u>
<u>श्री मदन चपलोत, अधिवक्ता प्रार्थी, उपस्थित</u>
<u>पैरोकार सरकार, तहसीलदार, निम्बाहेड़ा</u>

निर्णय दिनांक 03.02.2020

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मौजा सापलियाखेड़ी की खाता संख्या 20 की आराजी नं. 160 रकबा 0.5100 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसके साबिक आराजी नं. 148/121 रकबा 2 बीघा है। यह आराजीयात प्रार्थी की माता धुली दुख्तर कालु नायक निवासी चांदखेड़ा की खातेदारी व कब्जे काश्त की थी। प्रार्थी की माता धुली बाई का देहान्त हो गया है तथा प्रार्थी धुली बाई का वैध उत्तराधिकारी होकर वादग्रस्त आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। यह आराजीयात पूर्व में राजस्व नक्शे में दक्षिण दिशा में तरमीम होकर उसी स्थान पर प्रार्थी व उसकी माता का कब्जा चला आ रहा था। राजस्व कर्मचारियों की गलती से उक्त आराजीयात को राजस्व नक्शे में गलत रूप से पूर्वी दिशा में तरमीम कर दिया गया है। इसलिए पूर्व नक्शे व कब्जे अनुसार तरमीम करवाया जाना उचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त भूमि को साबिक नक्शे के अनुसार तरमीम करवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेड़ा को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपने जवाब में अंकित किया की प्रार्थी के कथन सही है। साबिक नक्शा ट्रेस में आराजी नं. 148/121 रकबा 2 बीघा का तरमीम नहीं था और हाल नक्शा ट्रेस में गलत जगह तरमीम है। साबिक नक्शा ट्रेस में तरमीम नहीं है परन्तु नामान्तरकरण पर नजरी नक्शा चस्पा है जिसकी छायाप्रति प्रस्तुत की है। छायाप्रति अनुसार आराजी नं. 159 के रकबे को आराजी नं. 160 पर

प्रतिस्थापित किया जाना उचित बताया है। साथ ही प्रार्थी की माता की मृत्यु होना और उसकी विरासत का नामान्तरकरण नहीं होना बताया है।

तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने ही एक पृथक प्रकरण सेग्रीगेशन प्रक्रिया के तहत राजस्व रेकार्ड में संशोधन का प्रस्तुत किया जिसमें प्रश्नगत आराजीयात भी सम्मिलित होने से दोनों प्रकरणों को सम्मिलित किया गया।

रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि साबिक नक्शा ट्रेस में आराजी नं. 148/121 का नक्शे में तरमीम नहीं था परन्तु पटवारी रेकार्ड में नामान्तरकरण पर चस्पा नजरी नक्शे में उक्त भूमि जहां दर्शाई गई है, वर्तमान में उक्त स्थल पर नहीं होकर आराजी नं. 159 तरमीम है। प्रश्नगत आराजी संख्या 148/121 का नवीन नम्बर 160 है जिसकी ताईद मिलान क्षेत्रफल से भी होती है। प्रश्नगत आराजीयात वर्तमान में धुली दुख्तर कालू नायक निवासी चान्दखेड़ा के नाम ही दर्ज रेकार्ड चली आ रही है जिसकी मृत्यु हो जाना प्रार्थी ने भी स्वीकार किया है। प्रार्थी रामचन्द्र पिता केशुराम नायक स्वयं को धुली का एकमात्र पुत्र एवं वारिस बताता है परन्तु विरासत की कार्यवाही नहीं होने से प्रार्थी के कथनों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी वर्तमान में प्रश्नगत भूमि का रेकार्डेड खातेदार नहीं होने से प्रार्थी प्रश्नगत भूमि पर किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा सेग्रीगेशन कार्यक्रम के तहत राजस्व रेकार्ड में संशोधन हेतु जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाकर राजस्व रेकार्ड में निम्नानुसार संशोधन के आदेश दिये जाते हैः-

क्र. सं.	वर्तमान प्रविष्ठी			प्रस्तावित संशोधन		
	आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	नाम खातेदार	आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	नाम खातेदार
1	160	0.51	धुली दुख्तर कालू नायक, सा. चान्दखेडा	159 दक्षिणी	0.51	धुली दुख्तर कालू नायक, सा. चान्दखेडा
2	159 शा.नं. 103	1.54	धुली दुख्तर कालू नायक, सा. चान्दखेडा	159 160 103	0.66 0.38 0.50	धुली दुख्तर कालू नायक, सा. चान्दखेडा
3	184/ 103 शा.नं. 159	0.25	प्रकाश चन्द्र पिता मोहनलाल जटिया, सा. निम्बाहेड़ा	184/159 160 में से	0.12 0.13	प्रकाश चन्द्र पिता मोहनलाल जटिया, सा. निम्बाहेड़ा
4	185/ 103 शा.नं. 159	0.25	योगेश कुमार पिता भैरूलाल खटीक, सा. कुलथाना	185/159	0.25	योगेश कुमार पिता भैरूलाल खटीक, सा. कुलथाना
5	186/ 103 शा.नं.159	0.25	पन्नालाल पिता हीरालाल खटीक, सा. कुलथाना	186/159	0.25	पन्नालाल पिता हीरालाल खटीक, सा. कुलथाना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

6	187/ 103 शा.नं. 159	0.25	जसवन्त सिंह पिता किशोर चन्देल (खटीक) सा. प्रतापगढ़	187/159	0.25	जसवन्त सिंह पिता किशोर चन्देल (खटीक) सा. प्रतापगढ़
7	188/ 103 शा.नं. 159	0.26	महादेव पिता मूला चमार, सा. डाबला	188/103	0.26	महादेव पिता मूला चमार, सा. डाबला
8	189/ 103 शा.नं. 159	0.28	रामकरण पिता लादू नायक, सा. डाबला	189/103	0.28	रामकरण पिता लादू नायक, सा. डाबला

उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस में प्रदर्शित अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 03.02.2020 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.07.03 14:32:43 IST
Reason: SelfAttested
Location: